म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/मु.म.कृ.जी.क.यो./15-16/ भोपाल, दिनांक /08/2015

प्रति,

सचिव (समस्त जिला मुख्यालय)
कृषि उपज मण्डी समिति,
-------------जिला-----------(म0प्र0)

विषयः- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 अंर्तगत हितग्राहियों को सहायता राशि के भुगतान बाबत्।

संदर्भः- कार्यालयीन आदेश क्रमांक- बोर्ड/लेखा/14-15/1694-95 दिनांक 08 जुलाई 2015.

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजनान्तर्गत पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करते हुऐ उक्त योजना के तहत् जिला कलेक्टरों से प्राप्त स्वीकृत दावो में सहायता राशि के भुगतान हेतु आंचलिक संयुक्त/उपसंचालक, आंचलिक कार्यालयों के स्थान पर जिला मुख्यालय के मंडी समिति के सचिवों को वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये हैं ।

इस आदेश में जिला मुख्यालय स्थित मंडी समिति के सचिव योजना अंर्तगत जिला कलेक्टरों से प्राप्त स्वीकृत दावों की सहायता राशि का भुगतान कर आंचलिक कार्यालय से उक्त राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं, आदेश के संबंध में कतिपय मंडी सचिवों द्वारा मार्गदर्शन चाहा हैं कि सहायता राशि का भुगतान मंडी सचिव किस मद एवं निधि से करेगें ?

अतः स्थिती को दृष्टिगत रखते हुऐ आदेश की निरन्तरता के साथ निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1- मंडी द्वारा जिला मुख्यालय स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में "मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजनान्तर्गत मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय से प्राप्त सहायता राशि" के नाम से जीरो बैलेंस पर बचत खाता खोला जावें ।

2- जिला मुख्यालय की मंडी समितियों द्वारा जिला कलेक्टर से सहायता राशि की मॉग प्राप्त होने पर आंचलिक संयुक्त संचालक कार्यालय से ई-मेल के माध्यम से भेजकर राशि की मॉग की जावे ।

3- संबंधित आंचलिक कार्यालय द्वारा मॉग प्राप्त होते ही RTGS के माध्यम से मंडी समिति द्वारा उपरोक्त क्रमांक–01 में खोले गये बैंक खाते में राशि अन्तरित कर ई–मेल से मंडी को सूचित करेंगे ।

4— मंडी समिति राशि प्राप्त होते ही **RTGS** के माध्यम से संबंधित जिला कलेक्टर के तत्संबंधी बैंक खाते में अन्तरित करेगी ।

5— यदि किसी कारण वश राशि संबंधित मंडी समिति/आंचलिक कार्यालय में उपलब्ध नही होती हैं, तो मंडी से ई—मेल द्वारा मॉग प्राप्त होते ही ऑचलिक कार्यालय लौटते ई—मेल संदेश से मंडी समिति को अवगत करायेगा तथा राशि की मॉग बोर्ड को सम्प्रेषित करेगा ऐसी स्थिति में मंडी समिति अपनी चालू निधि से कलेक्टर के बैंक खाते में अपेक्षित राशि अन्तरित कर भुगतान करेंगी । आंचलिक कार्यालय राशि प्राप्त होने पर तत्काल मंडी को उपलब्ध करायेगा तथा मंडी चालू खाते से भुगतान की राशि का समायोजन करेगी । इस बाबत् बजट का कोई मद प्रभावित नही होगा ।

6- बोर्ड द्वारा इस हेतु सभी आंचलिक कार्यालयों को एक मुश्त अग्रिम राशि के रूप में उपलब्ध कराई जावेगी ।

7- उपरोक्त राशियों का संव्यवहार ई-पेमेंट अर्थात **RTGS/NEFT** के माध्यम से किया जावेगा । सभी जिला मुख्यालय की मंडीयॉ बैंक खाता खोलकर बैंक का नाम, खाता कमांक, **IFSC**, कोड आदि की जानकारी आंचलिक कार्यालय को तत्काल भेजेगी । इसी प्रकार जिला कलेक्टर के संबंधित बैंक खाते की जानकारी मंडीयों के पास संधारित होगी, ताकि बैंक से सहायता राशि अंतरित हो सके ।

उपरोक्त निर्देशो का जिला मुख्यालय की मंडी समितियों के सचिव तथा सभी आंचलिक संयुक्त/उपसंचालक कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्मांक/बोर्ड/लेखा/मु.म.कृ.जी.क.यो./15-16/630 भोपाल, दिनांक /8 /08/2015

प्रतिलिपिः-

1- अपर संचालक(योजना) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2- जिला कलेक्टर (समस्त) जिला ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3- संयुक्त/उपसंचालक म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय.............. (समस्त) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि योजना के अंतर्गत प्राप्त दावो के भुगतान के लिये उपरोक्त निर्देशो का आपके द्वारा तथा आपके अधीनस्थ जिला स्तर की मंडीयों द्वारा अनिवार्यतः पालन कराया जावे ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल